भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3504
10 दिसंबर, 2019 को उत्तरार्थ

विषय : राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए निधि

3504. श्री ज्योतिर्मय सिंह महतोः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए निर्धारित और आबंटित निधि का पश्चिम बंगाल सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गहरे ट्यूबवेल योजना और अन्य लघु सिंचाई योजनाओं को प्रधन मंत्री कृषि सिंचाई योजना के साथ विलय करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना स्कीम के अंतर्गत विभिन्न जिलों के लिए एक व्यापक जिला कृषि योजना तैयार की जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

<u>कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)</u>

(**क**) **से** (**ङ**): पिछले दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत पश्चिम बंगाल सहित राज्यवार निधियों का वर्षवार आवंटन एवं निर्मुक्ति का विवरण **अनुबंध** पर है। आरकेवीवाई योजना जिले के कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के विकास के लिए आवश्यकताओं को प्रक्षेपित करते हुए जिला कृषि योजना (डीएपी) तैयार करने के लिए राज्यों को अधिदेश देती है। आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि जैसी कई राज्य सरकारों ने विभिन्न जिलों के लिए व्यापक जिला कृषि योजना तैयार की है। प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) में गहरे नलकूपों और अन्य लघु सिंचाई योजनाओं को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सरकार वर्ष 2015-16 से देश के कई राज्यों में प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) का कार्यान्वयन कर रही है। पीएमकेएसवाई के चार घटक हैं यथा त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), पीएमकेएसवाई-हर खेत को पानी (एचकेकेपी) जिसमें लघु सिंचाई योजनाएं शामिल है, पीएमकेएसवाई-प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) और पीएमकेएसवाई-पनधारा विकास घटक (डबल्यूडीसी)।

लो.स.अता.प्र.सं.3504

अनुबंध

दिनांक 05.12.2019 तक वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान आरकेवीवाई के तहत निधि वार एवं राज्य वार निर्मुक्ति

(रूपए करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2017-18		2018-19		2019-20	
		आवंटन	निर्मुक्ति	आवंटन	निर्मुक्ति	आवंटन	निर्मुक्ति
1	आंध्र प्रदेश	213.89	208.20	204.71	253.48	210.34	204.81
2	अरुणाचल प्रदेश	41.92	10.63	18.58	9.26	19.46	8.73
3	असम	290.99	241.07	202.29	201.62	219.93	107.65
4	बिहार	175.69	69.31	168.39	83.97	184.53	89.08
5	छत्तीसगढ़	166.08	157.65	116.43	113.94	132.66	64.51
6	गोवा	17.77	8.89	15.00	7.45	16.28	3.31
7	गुजरात	220.13	194.70	114.58	109.24	118.07	57.16
8	हरियाणा	122.12	87.53	66.07	80.55	68.97	31.69
9	हिमाचल प्रदेश	24.42	22.94	23.84	23.52	24.90	24.10
10	जम्मू और कश्मीर	113.84	24.76	19.83	9.59	21.17	10.19
11	झारखंड	128.77	0.60	101.51	32.49	109.50	0.00
12	कर्नाटक	264.72	235.11	115.38	127.36	191.20	94.23
13	केरल	128.44	51.50	68.29	82.94	66.95	30.00
14	मध्य प्रदेश	236.73	217.53	174.38	219.17	182.53	89.87
15	महाराष्ट्र	419.62	398.62	247.78	245.11	261.76	128.04
16	मणिपुर	17.17	13.75	16.53	14.69	16.33	7.76
17	मेघालय	21.10	10.41	20.58	16.93	20.06	9.39
18	मिजोरम	10.43	10.38	11.80	11.06	11.74	5.10
19	नागालैंड	57.57	57.35	40.30	48.69	38.83	28.41
20	ओडिशा	289.04	174.42	198.80	242.02	207.84	98.71
21	पंजाब	284.47	131.42	90.60	44.59	90.95	0.00
22	राजस्थान	241.28	234.97	160.00	196.99	165.71	81.86
23	सिक्किम	6.09	2.99	14.06	17.36	15.59	7.65
24	तमिलनाडु	224.14	224.38	175.36	216.59	176.63	171.03
25	तेलंगाना	127.68	63.85	258.58	128.69	261.18	129.94
26	त्रिपुरा	40.38	32.76	53.45	66.67	56.61	27.35
27	उत्तर प्रदेश	440.00	268.72	333.55	389.58	348.06	24.47
28	उत्तराखंड	85.71	79.66	22.78	28.86	23.37	174.05
29	पश्चिम बंगाल	306.80	293.36	194.21	243.49	223.27	109.14
	कुल राज्य	**4717.01**	**3527.44**	**3247.64**	**3265.83**	**3484.41**	**1818.23**

*****